

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

चन्द्र शेखर सिंह
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
नालन्दा

पटना, दिनांक- , २०१६

विषय:- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-१६/४/२४/२०१४/ओ
दिनांक- २५.१०.२०१६ में पारित आदेश के आलोक में हिलसा
थाना काण्ड सं०-२८९/१० में पीड़िता/परिवादी सरिता देवी,
थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में
₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) मात्र भुगतान हेतु में
आदेश/राज्यादेश संख्या-११७४९ दिनांक-२२.१२.२०१६ द्वारा स्वीकृत
राशि के मुख्य शीर्ष-२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप
मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु
शीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-२२-उप शीर्ष-००११ मानवता
के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N२२३५६०२००००११ विषय
शीर्ष-३१०२ अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में उपबंधित
राशि से कुल ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) मात्र के आवंटन की
स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

२. श्रीमती सरिता देवी, जिला-नालन्दा को मुआवजा भुगतान करने हेतु
जिला पदाधिकारी, नालन्दा को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, नालन्दा को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, नालन्दा को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, नालन्दा को कुल आवंटित राशि
₹००/- (शून्य)	₹१,००,०००/- (एक लाख)	₹१,००,०००/- (एक लाख)

- उक्त आवंटित राशि ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय
वर्ष २०१६-१७ में मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम,
लघु शीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-२२-उप शीर्ष-००११-मानवता
के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड- N२२३५६०२००००११ के अन्तर्गत
उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त राशि जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा यथा विषयांकित परिवादी श्रीमती
सरिता देवी के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, नालन्दा को उपलब्ध करायी
जा रही है।
जिला पदाधिकारी, नालन्दा कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि
उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान परिवादी की समुचित पहचान
कर की गई है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, नालन्दा
होंगे।
- उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१ दिनांक-१७.०४.९८
के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला
पदाधिकारी, नालन्दा की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, नालन्दा का यह दायित्व होगा कि खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
9. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा मात्र उक्त परिवादी के मुआवजा भुगतान के लिए किया जायेगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
10. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
11. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
12. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चन्द्र शेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक , 2016
प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्रांक/वाद 16/4/24/2014 दिनांक-25.10.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव